CNR–UPLL010018282024

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- (सुनील सिंह)

(उच्चतर न्यायिक सेवा)- UP 6456

विविध वाद संख्या- 387/2024

श्रीमती पुष्पा बनाम किशन आदि

18.04.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी व उसके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

2. परिवादिनी/प्रार्थिनी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि परिवादिनी ग्राम गदयाना थाना बार जिला ललितपुर की निवासिनी है। दिनांक 12.05.2024 को रात्रि करीब 8:00 बजे अपने घर पर खाना बना रही थी कि तभी गांव के ही विपक्षीगण किशन तनय चतरे, श्रीमती माया पत्नि किशन, चिप्पे तनय कलू, श्रीमती नीलम पुत्री किशन, कु० चांदनी पुत्री किशन एकराय होकर हाथों में लाठी डंडा व कुल्हाडी लेकर परिवादिनी के घर के अंदर घुस आये और परिवादिनी के साथ गाली गलौच करने लगे जब परिवादिनी ने गालियां देने से मना किया तो उक्त विपक्षीगण आकोशित हो गये और परिवादिनी को नीचे पटककर मारपीट करने लगे कि परिवादिनी की आवाज सुनकर घर में बैठी परिवादिनी की जेठानी श्रीमती रोशनी व परिवादिनी के जेठ राकेश आये और बीच-बचाव करने लगे तो किशन ने परिवादिनी के गले में से मंगलसूत्र छीन लिया और परिवादिनी के जेठ की जेब में रखे 2000/- रू निकाल लिये और विपक्षीगण कहने लगे कि इस बार तो तू बच गयी। अगली बार तुझे नहीं छोड़ेंगे और अगर तूने पुलिस में शिकायत की तो तुझे व तेरे परिजनों को जान से खत्म करके कहीं पर फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। उक्त विपक्षीगण काफी दबंग व अपराधिक किस्म के व्यक्ति है और आये दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं कि उपरोक्त विपक्षीगण परिवादिनी का मंगलसूत्र छीनकर व जेठ के रूपये छीनकर मौके से भाग गये जबकि परिवादिनी चार माह से गर्भवती है। परिवादिनी की विपक्षीगण द्वारा मारपीट करने से पेट में काफी चोटें आयी हैं। घटना की सूचना परिवादिनी द्वारा थाना बार जिला ललितपुर में दी एवं पुलिस अधीक्षक को स्वयं जाकर एवं जरिये डॉक से भेजी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद प्रस्तुत किया है। मुल्जिमान ने धारा 392, 394 ता०हि० का संज्ञेय अपराध किया है जिसमें मुल्जिमानों को तलब किया जाना आवश्यक है। परिवादिनी सबूत संलग्न फेहरिस्त पेश कर रही है। अतः तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी।

3. परिवादी का धारा 200 CrPC के अन्तर्गत परीक्षण किया गया।

4. परिवादी द्वारा अपने बयान u/s 200 CrPC में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 12.05.2024 की समय 08.00 बजे शाम को रोटी बना रही थी, किशन, माया, चिप्पे, लीला, चांदनी आये, गाली देने लगा। मारपीट करने लगे। जेठ राकेश व रोशनी आये तो बचाया और मेरा पर्स छीन लिया। दो हजार रुपये ले लिये। मेरे पेट में लात मारी। मैं गर्भवती थी, बिना बात पर झगड़ा किया था। थाने गई, कोई सुनवाई नहीं हुई।

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.04.18 16:17:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित दिनांक, समय व स्थान परिवादिनी के घर में लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी लिये घुसकर मारपीट कर चोटें कारित करके उसका मंगलसूत्र तथा उसके जेठ की जेब से 2000/- रुपये जान से मारने की धमकी देकर लूट ले जाना अभिकथित है। परिवादिनी द्वारा कथित लूट के जेवरात एवं रुपये के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मामले के चक्षुदर्शी गवाह श्रीमती रोशनी, राकेश आदि को भी परीक्षित नहीं कराया गया है, जोकि घटना को साबित करने में सहायक हो सकते थे, बल्कि किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी से मारपीट कर चोटें कारित करना कहा है, किन्तु न तो चोटों के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र इत्यादि दाखिल किया है, न ही चोटों की प्रकृति, संख्या व शरीर के किस भाग पर चोटें आयीं, नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त मामले में दो महिलाओं द्वारा सहयोगियों के साथ मिलकर कथित लूट कारित करना कहा है, जबकि सामान्यतः महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। परिवादी द्वारा मौके पर डायल 112 नंबर पर पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया। घटना का कोई हेतुक नहीं है। परिवाद के तथ्यों के अनुसार पक्षकारों में आपसी रंजिश होना दर्शित हो रहा है, जिसको लूट की घटना में परिवर्तित कर परिवादिनी द्वारा परिवाद बढ़ा-चढ़ाकर दिया जाना प्रतीत हो रहा है। परिवादिनी दिनांक 30.10.2025 से उपस्थित नहीं आ रही है जिससे प्रतीत होता है कि परिवादिनी को उक्त परिवाद में कोई रूचि नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी पक्षकार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण प्रारम्भ करना एक गम्भीर व संवेदनशील विषय है जिसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जा सकता।

6. अतः धारा 200 CrPC के अन्तर्गत दर्ज किए गए परिवादी के बयान के आलोक में अभियुक्तगण किशन, श्रीमती माया, चिप्पे, श्रीमती नीलम, कु० चांदनी के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रतीत नहीं होता है। परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद धारा 203 CrPC में निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक **18.04.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अ०)
ललितपुर।